पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 147/17

अनवान :

दलीप पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़िया गान्धी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजबाला पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुमन पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दलबीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने एवं दावा वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता सं0 134/12 के मु0नं0 28 के किला नं0 14 की 0.253 है0 नहरी में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 7 एसडीआर के ही खाता सं0 135/127 के मु0नं0 28 के किला नं0 15 ता 17, 24 व 25 मु0नं0 29 के किला नं0 11, 16 ता 21 की 2.821 है0 नहरी में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 2/2 के मु0नं0 32 के किला नं0 21 ता 25 मु0नं042 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 19 व 20 मु0नं0 43 के किला नं0 1 ता 17, मु0नं0 44 के किला न 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 की 10.120 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम 99–2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 10 एसडीआर के खाता सं0 5/6 के मु0नं0 67 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 19 व 20 मु0नं0 68 के किला नं0 2 ता 9, 13 ता 17 की 5.136 है0 नहरी में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम 1/36 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 बारानी के वर्तमान खाता सं0 6/2 के मु0नं0 2 के किला नं0 11, 12, 18 ता 23 की 2.024 है0 बारानी खातेदारी में भी प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया सं0 2 व 3 ने विवादित कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.11.17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 147/17

अनवान :

दलीप पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़िया गान्धी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजबाला पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुमन पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दाबा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 काश्त0 अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री दलबीर बैनीवाल **: वादी**

निर्णय **दिनांक :** 27.11.17

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता सं0 134/12 के मु0नं0 28 के किला नं0 14 की 0.253 है0 नहरी में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 7 एसडीआर के ही खाता सं0 135/127 के मु0नं0 28 के किला नं0 15 ता 17, 24 व 25 मु0नं0 29 के किला नं0 11, 16 ता 21 की 2.821 है0 नहरी में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 2/2 के मु0नं0 32 के किला नं0 21 ता 25 मु0नं042 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 19 व 20 मु0नं0 43 के किला नं0 1 ता 17, मु0नं0 44 के किला न 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 की 10.120 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम अपने भाई कृष्ण कुमार के साथ 133–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 10 एसडीआर के खाता सं0 5/6 के मु0नं0 67 के किला नं0 1 ,2, 9 ता 12, 19 व 20 मु0नं0 68 के किला नं0 2 ता 9, 13 ता 17 की 5.136 है0 नहरी में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम 1/36 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 बारानी के वर्तमान खाता सं0 6/2 के मु0नं0 2 के किला नं0 11, 12,

18 ता 23 की 2.024 है0 बारानी खातेदारी में भी प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि पहले वादी के दादा राजेराम की खातेदारी हुआ करती थी। राजेराम के देहान्त होने पर वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी परन्तु विरासती इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी महेन्द्रसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। वादभूमि के सम्बन्ध में गत तीज के त्यौहार पर प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। जिस पर वादभूमि जो प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादी महेन्द्रसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा इसी अनुसार वादभूमि पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली शुमार है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 7, 9, 10 एसडीआर व चक 3 बारानी में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने जो फोटोप्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 3 बारानी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, फोटोप्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 10 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, फोटोप्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 9 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 8, फोटोप्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 7 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद वादी के पड़दादा जोतराम वल्द कुम्भा के नाम से दर्ज है जिससे विवादित आराजी दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं दादालाई होने के कारण वादी का विवादित कृषि भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है एवं वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है। इस प्रकार वादी के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

अत : दावा वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता सं0 134/12 के मु0नं0 28 के किला नं0 14 की 0.253 है0 नहरी में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 7 एसडीआर के ही खाता सं0 135/127 के मु0नं0 28 के किला नं0 15 ता 17, 24 व 25 मु0नं0 29 के किला नं0 11, 16 ता 21 की 2.821 है0 नहरी में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 2/2 के मु0नं0 32 के किला नं0 21 ता 25 मु0नं042 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 19 व 20

मु0नं0 43 के किला नं0 1 ता 17, मु0नं0 44 के किला न 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 की 10.120 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम 99–2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 10 एसडीआर के खाता सं0 5/6 के मु0नं0 67 के किला नं0 1 ,2, 9 ता 12, 19 व 20 मु0नं0 68 के किला नं0 2 ता 9, 13 ता 17 की 5.136 है0 नहरी में प्रतिवादी महेंन्द्रसिंह के नाम 1/36 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 बारानी के वर्तमान खाता सं0 6/2 के मु0नं0 2 के किला नं0 11, 12, 18 ता 23 की 2.024 है0 बारानी खातेदारी में भी प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया सं0 2 व 3 ने विवादित कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़